रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2015/फाल्गुन 5, 1936
No. 112] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2015/PHALGUNA 5, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 4 फरवरी, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन तथा अंतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 120(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (i) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेश मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन तथा अंतरण विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 21/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :--

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन तथा अंतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन तथा अंतरण) विनियमावली, 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 21/2000-आरबी) में, मौजूदा विनियम 7 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"7. कतिपय देशों के नागरिकों द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण (अर्जन) अथवा अंतरण पर प्रतिबंध

ऐसा कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल, भूटान, मकाउ अथवा हाँग काँग का कोई नागरिक है, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भारत में, पाँच वर्षों से कम अवधि के लिए अचल संपत्ति पट्टे पर लेने के सिवाय कोई अन्य अचल संपत्ति अर्जित अथवा अंतरित नहीं करेगा।"

[सं.फेमा. 335/2015-आरबी]

सी.डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 8 मई 2000 के सा.का.नि. सं. 407(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :--

सा.का.नि. सं. 578(अ), दिनांक 19.08.2002
सा.का.नि. सं. 557(अ), दिनांक 22.07.2003
सा.का.नि. सं. 130(अ), दिनांक 03.03.2006
सा.का.नि. सं. 299(अ), दिनांक 01.05.2009
सा.का.नि. सं. 813(अ), दिनांक 12.11.2009
सा.का.नि. सं. 733(अ), दिनांक 17.10.2014

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2015

Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2015

G.S.R. 120(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (3) of Section 6, and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 21/ 2000-RB dated May 3, 2000), namely:—

2. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendment of the regulations

In the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 21/2000-RB dated May 3, 2000), the existing regulation 7 shall be substituted by the following namely:

"**7. Prohibition on acquisition or transfer of immovable property in India by citizens of certain countries**

No person being a citizen of Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, China, Iran, Nepal, Bhutan, Macau or Hong Kong without prior permission of the Reserve Bank shall acquire or transfer immovable property in India, other than lease, not exceeding five years."

[No. FEMA. 335/2015-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 407 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R. No. 578 (E), dated 19.08.2002

G.S.R. No. 557 (E), dated 22.07.2003

G.S.R. No. 130 (E), dated 03.03.2006

G.S.R. No. 299 (E), dated 01.05.2009

G.S.R. No. 813 (E), dated 12.11.2009

G.S.R. No. 733 (E), dated 17.10.2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.